12.3.22 पत्रावली श्रीमान साहब तहसीलदार महोदय के पेश हुई। प्रार्थिया भाविका उप. रिपोर्ट पटवारी विनोदकुई, पेशकार साहब की रिपोर्ट, प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, तहसीलदार सत्यापन पत्र आदि के आधार पर प्रार्थना, प्रार्थिया स्वीकार की जाती है।

निर्विवाद पत्र लिखकर जारी किया जावे। पत्रावली मय शुदा की जारी कर नकल दाखिल दफ्तर हो।

बाद कार्यवाही

12/3/2022
पटवारी विनोदकुई
मुली बाई
हुकम चंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 3/2021 तारीख दायरा 16.12.2021

उनवान

भूली बाई पत्नि हुकमचन्द जाति गुर्जर निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

–प्रार्थीया

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। –अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री सरकार पैरोकार दिनांक :– 12.03.2022

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीया एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम विनोदकलां पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खाता सं 215 के ख.न. 7 रकबा 1.28 है. एवं ख.न. 9 रकबा 4.51 है. कुल 2 किता की कुल 5.79 है. आराजी स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का नाम भूली बाई पत्नि हुकमचन्द जाति गुर्जर निवासी चन्दपुरा तहसील रा[illegible] की अंकित है जो कि गलत रूप से अंकित है। प्रार्थीया सांगोद की रहवासी है ना कि [illegible] तहसील रामगंजमण्डी की। अतः उक्त त्रुटिपूर्ण अंकित निवास पते को शुद्ध करने हेतु प्रार्थीया द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्रार्थना पत्र सू–मोटो के आधार पर धारा अंतर्गत 136 एल. आर. एक्ट में दर्ज किया गया। पत्रावली दिनांक 12.03.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई। संबंधित पटवारी हलका द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रार्थीया द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आदि प्रस्तुत किए गए।

मेरे द्वारा राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, दस्तावेजात, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, पटवारी रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम विनोदकलां पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खाता सं 215 के ख.न. 7 रकवा 1.28 है. एवं ख.न. 9 रकवा 4.51 है. कुल 2 किता की कुल 5.79 है. आराजी में प्रार्थीया के नाम भूली वाई पत्नि हुकमचन्द जाति गुर्जर निवासी चन्दपुरा तहसील रामगंजमण्डी के स्थान पर भूली वाई पत्नि हुकमचन्द जाति गुर्जर निवासी सांगोद तहसील सांगोद दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में वैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:46 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद